

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 12809/2025

मनीष उर्फ जग्गू उर्फ बलराम

..... आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: -धनंजय सिंह, दिग्विजय मिश्रा, वेद प्रकाश मिश्रा
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: -शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
 2. अभियोजन पक्ष के मामले में यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 07.01.2023 को लगभग 18:00 बजे परिवादिनी के पिता ने उसके पति को बुलाने के लिए कहा, और जब उसका पति रात करीब 10:00 बजे उसके मायके पहुँचा, तो उसके पिता सियाराम, चाचा मनीष और 3-4 अन्य व्यक्तियों ने जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडा और सरिया से उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसके पति के सिर में चोट आई तथा उसके बाएं हाथ और दाहिनी कलाई में अस्थि-भंग हो गया एवं वह बेहोश हो गया।
 3. आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदनकर्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदनकर्ता दिनांक 04.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदनकर्ता ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त सोयाराम और आदित्य कुमार को विचारण न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदनकर्ता की जमानत याचिका विचारण न्यायालय द्वारा केवल उसकी अनुपस्थिति के कारण खारिज कर
- अस्वीकरण:**
“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया और आवेदनकर्ता को समन जारी कर तलब किया। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदनकर्ता की अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदनकर्ता के फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वे आवेदनकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, इस तथ्य कि आवेदनकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उपरोक्त संदर्भित सह-अभियुक्तों के जमानत आदेश, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा आवेदक की जेल अवधि पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदनकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

6. आवेदनकर्ता **मनीष उर्फ जग्गू उर्फ बलराम**, जो पुलिस थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 325, 323, 342, 506 के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 0041/2023 में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। यहा न्याय हित में निम्नवत शर्तें अधिरोपित की जाती हैं:-

(i) आवेदनकर्ता विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदनकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।

(iii) आवेदनकर्ता इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा और विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा। इस शर्त के चूक की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

उपरोक्त के अतिरिक्त, कोई भी अन्य शर्त(शर्तें) जो विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, अधिरोपित की जा सकती हैं।

7. तदनुसार, आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 30, 2026

केकेबी/

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”